



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01022026-269748
CG-DL-E-01022026-269748

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 80]

नई दिल्ली, रविवार, फरवरी 1, 2026/माघ 12, 1947

No. 80]

NEW DELHI, SUNDAY, FEBRUARY 1, 2026/MAGHA 12, 1947

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर और सीमाशुल्क बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 फरवरी, 2026

सं.13 /2026-सीमाशुल्क (एन.टी.)

सा.का.नि. 81(अ).— केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 47 की उपधारा (1) और धारा 156 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आयात शुल्क का आस्थगित भुगतान नियमावली, 2016 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ – (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आयात शुल्क का आस्थगित भुगतान (संशोधन) नियम, 2026 है।
(2) ये 1 मार्च, 2026 को प्रवृत्त होंगे।
- आयात शुल्क का आस्थगित भुगतान नियमावली, 2016 के नियम 4 के खंड (क) से खंड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखे जाएंगे, अर्थात्:-

“(क) मार्च से भिन्न किसी मास के पहले दिन से लेकर अंतिम दिन तक भुगतान के लिए वापस किए गए प्रवेश पत्र के तत्स्थानी माल के लिए शुल्क अनुगामी मास के पहले दिन तक संदत्त किया जाएगा;

(ख) मार्च के पहले दिन से 31वें दिन तक भुगतान के लिए वापस किए गए प्रवेश पत्र के लिए शुल्क 31 मार्च तक संदत्त किया जाएगा।”।

[फा. स. 450/04/2026-सीमा. IV]

अनुरिमा शर्मा, निदेशक (सीमाशुल्क)

टिप्पणः- मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i), तारीख 2 नवंबर, 2016 में, संख्यांक सा.का.नि. 1037 (अ), तारीख 2 नवंबर, 2016 द्वारा प्रकाशित की गई थी और संख्यांक सा.का.नि. 585 (अ), तारीख 3 अगस्त, 2023 द्वारा अंतिम बार संशोधित की गई थी।

MINISTRY OF FINANCE

(Department Of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS)

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st February, 2026

No. 13/2026-Customs (N.T.)

G.S.R. 81(E).— In exercise of the powers conferred by the proviso to sub-section (1) of section 47 and section 156 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Deferred Payment of Import Duty Rules, 2016, namely: —

1. Short title and commencement: - (1) These rules may be called the Deferred Payment of Import Duty (Amendment) Rules, 2026.

(2) They shall come into force on the 1st day of March, 2026.

2. In the Deferred Payment of Import Duty Rules, 2016, in rule 4, for clauses (a) to (c), the following clauses shall be substituted, namely: —

“(a) for goods corresponding to Bill of Entry returned for payment from 1st day to the last day of any month other than March, the duty shall be paid by the 1st day of the following month;

(b) for goods corresponding to Bill of Entry returned for payment from 1st day to 31st day of March, the duty shall be paid by 31st March.”.

[F. No. 450/04/2026–Cus. IV]

ANURIMA SHARMA, Director (Customs)

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), dated the 2nd November, 2016 *vide* number G.S.R. 1037 (E), dated the 2nd November, 2016 and was last amended *vide* number G.S.R. 585 (E), dated the 3rd August, 2023.